

प्ररूप-6

[नियम 10 (9), 11(2), 64(1), 64(3)(1)]

सामाजिक जाँच रिपोर्ट

कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए

क्रम संख्या

किशोर न्याय बोर्ड,(पता) को प्रस्तुत।

परिवीक्षा अधिकारी/स्वैच्छिक/ गैर-सरकारी संगठन..... (व्यक्ति का नाम)

प्राथमिकी संख्या.....

धारा के अंतर्गत.....

पुलिस स्टेशन.....

तथाकथित अपराध की प्रकृति : लघु गंभीर जघन्य

1. नाम.....
2. आयु/तारीख/जन्म का वर्ष.....
3. लिंग.....
4. जाति.....
5. धर्म.....
6. पिता का नाम.....
7. माता का नाम.....
8. सरक्षक का नाम.....
9. स्थायी पता.....
10. पते का लैंडमार्क.....
11. पिछले आवास का पता.....
12. पिता/माता/पारिवारिक सदस्य की सम्पर्क संख्या.....
13. क्या बालक विकलांग है: हां / नहीं
 - (i) श्रवण अक्षमता
 - (ii) वाणी अक्षमता
 - (iii) शारीरिक निःशक्तता
 - (iv) मानसिक रूप से अक्षम
 - (v) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)
14. परिवार के व्यौरें:

क्र. सं.	नाम तथा नातेदारी	आयु	लिंग	शिक्षा	व्यवसाय	आय	स्वास्थ्य की स्थिति	मानसिक रुग्णता का पूर्ववृत्त	व्यसन (यदि कोई हो)

								(यदि कोई हो)	
(1)									
(2)									
(3)									
(4)									
(5)									
(6)									
(7)									
(8)									
(9)									
(10)									

15. क्या बालक अथवा व्यक्ति विवाहित है, पति-पत्नी बच्चों का नाम, आयु तथा ब्यौरा :

.....

16. परिवार के सदस्यों का आपस में संबंध :

(i) पिता तथा माता	मैत्रीपूर्ण / गैर-मैत्रीपूर्ण / जानकारी नहीं
(ii) पिता तथा बालक	मैत्रीपूर्ण / गैर-मैत्रीपूर्ण / जानकारी नहीं
(iii) माता तथा बालक	मैत्रीपूर्ण / गैर-मैत्रीपूर्ण / जानकारी नहीं
(iv) पिता तथा सहोदर बहन-भाई	मैत्रीपूर्ण / गैर-मैत्रीपूर्ण / जानकारी नहीं
(v) माता तथा सहोदर बहन-भाई	मैत्रीपूर्ण / गैर-मैत्रीपूर्ण / जानकारी नहीं
(vi) बालक तथा सहोदर बहन-भाई	मैत्रीपूर्ण / गैर-मैत्रीपूर्ण / जानकारी नहीं
(vii) बालक तथा दादा-दादी (पैतृक/मातृक)	मैत्रीपूर्ण / गैर-मैत्रीपूर्ण / जानकारी नहीं

17. अपराधों में परिवार के सदस्यों की भागीदारी यदि कोई हो:

क्र०सं०	नातेदारी	प्रकृति की अपराध	मामले की कानूनी स्थिति	गिरफ्तारी यदि कोई की गई हो	कारावास की अवधि	दिया दण्ड गया
1.	पिता					
2.	सौतेला पिता					
3.	माता					
4.	सौतेली माता					
5.	भाई					
6.	बहन					
7.	अन्य (चाचा/चाची/					

दादा/दादी/नाना/नानी)					
----------------------	--	--	--	--	--

18. बालक तथा परिवार की धर्म के प्रति अभिवृत्ति.....
19. वर्तमान जीवन-निर्वाहन की परिस्थितिया.....
20. महत्व के अन्य कारण, यदि कोई हो.....
21. (i) बालक की आदतें (जैसा भी लागू हो करें)
- | क | ख |
|---|----------------------------------|
| (क) धूम्रपान | (छ) टी०वी०/फिल्में देखना |
| (ख) शराब का सेवन करना | (ज) अंतरंग खेल/बहिरंग खेल खेलना |
| (ग) स्वापक का प्रयोग (विनिर्दिष्ट करें) | (झ) पुस्तकें पढ़ना |
| (घ) जुआ खेलना | (ञ) धार्मिक कार्यकलाप |
| (ङ०) भीख मांगना | (ट) ड्राइंग/पेंटिंग/एक्टिंग/गायन |
| (च) कोई अन्य | (ठ) कोई अन्य |
- (ii) पाठ्येतर रुचियां.....
- (iii) उत्कृष्ट विशेषताएं तथा व्यक्तित्व विशेषताएं.....
22. घर में अनुशासन के प्रति बालक की राय तथा प्रतिक्रिया.....
23. बालक के रोजगार के ब्यौरे यदि कोई हो.....
24. आय के ब्यौरे तथा आय-उपयोग करने का तरीका.....
25. कार्य-अभिलेख (व्यावसायिक रुचियों को छोड़ने के कारण, नौकरी अथवा नियोक्ता के प्रति अभिवृत्ति)
.....
26. बालक की शिक्षा के ब्यौरे.....
- (i) निरक्षर
- (ii) कक्षा V तक अध्ययन
- (iii) कक्षा V से ऊपर बल्कि कक्षा VIII से नीचे अध्ययन किया
- (iv) कक्षा VIII से ऊपर बल्कि कक्षा X से नीचे अध्ययन किया
- (v) कक्षा X से ऊपर अध्ययन किया
27. बालक के प्रति कक्षा के साथियों की अभिवृत्ति (रवैया) :
28. बालक के प्रति शिक्षको तथा साथियों की अभिवृत्ति (रवैया):
29. स्कूल छोड़ने के कारण (हां / नहीं करें जैसा भी लागू हो)
- (i) पिछली कक्षा जिसमें पढ़ रहा था, फेल हुआ
- (ii) स्कूल के कार्यकलापों में रुचि का अभाव
- (iii) अध्यापकों का उपेक्षा पूर्ण व्यवहार

- (iv) समकक्ष-समूह का प्रभाव
 - (v) अर्जन और परिवार की मदद करना
 - (vi) माता-पिता की असामयिक मृत्यु
 - (vii) स्कूल में डराना धमकाना
 - (viii) स्कूल का कड़ा वातावरण
 - (ix) स्कूल से अनुपस्थिति तथा स्कूल से भाग जाना
 - (x) नजदीक में आयु के अनुकूल स्कूल का अभाव
 - (xi) स्कूल में दुर्व्यवहार
 - (xii) स्कूल में अपमान
 - (xiii) शारीरिक दंड
 - (xiv) शिक्षण का माध्यम
 - (xv) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
30. पिछला स्कूल जहां अध्ययन किया, उसके ब्यौरे
- (i) निगम/नगर-निगम/पंचायत
 - (ii) सरकारी / अनु०जा० कल्याण स्कूल/पिछड़ा वर्ग कल्याण स्कूल
 - (iii) प्राइवेट प्रबंधन
 - (iv) एन० सी० एल० पी० के अन्तर्गत विद्यालय
31. व्यावसायिक प्रशिक्षण, यदि कोई हो.....
32. अधिकांश मित्र :
- (i) शिक्षित
 - (ii) निरक्षर
 - (iii) उसी आयु वर्ग के
 - (iv) आयु में बड़े
 - (v) आयु में छोटे
 - (vi) एक ही लिंग के हैं
 - (vii) अन्य लिंग के हैं
 - (viii) व्यसनी
 - (ix) आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं
33. बालक की मित्रों के प्रति अभिवृत्ति.....
34. बालक के प्रति मित्रों की अभिवृत्ति.....
35. बालक के प्रति पड़ोसियों का प्रेक्षण.....
36. पड़ोस के बारे में प्रेक्षण (बालक पर पड़ोस के प्रभाव का आंकलन करने लिए)
.....

37. क्या बालक किसी दुर्व्यवहार के अध्यधीन रहा है:

हां / नहीं

क्र०सं०	दुर्व्यवहार के प्रकार	अभ्युक्ति
1.	मौखिक दुर्व्यवहार- माता-पिता/सहोदर भाई-बहन/ नियोक्ता अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	
2.	शारीरिक दुर्व्यवहार (कृपया निर्दिष्ट करें)	
3.	लैंगिक दुर्व्यवहार- माता-पिता/सहोदर। भाई-बहन/ नियोक्ता/ अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	
4.	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	

38. क्या बालक किसी अपराध से पीड़ित है-

हां / नहीं

39. क्या बालक का इस्तेमाल किसी गैंग द्वारा अथवा वयस्कों द्वारा अथवा वयस्कों के समूह द्वारा किया जा रहा है अथवा बालक को स्वापक के वितरण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।

हां / नहीं

40. क्या बालक की प्रवृत्ति घर से भागने की है, यदि कोई हो-

हां / नहीं

41. वे परिस्थितियां जिनमें बालक को गिरफ्तार किया गया था.....

42. अपराध में बालक की तथाकथित भूमिका.....

43. तथाकथित अपराध का कारण:

- (i) माता-पिता की उपेक्षा
- (ii) माता-पिता का अति संरक्षण
- (iii) माता-पिता का आपराधिक व्यवहार
- (iv) माता-पिता का प्रभाव (नकारात्मक)
- (v) हम उम्र समूह का प्रभाव
- (vi) बुरी आदतें (स्वापक / मदिरा खरीदना)
- (vii) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)

44. क्या बालक को पहले भी किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है. यदि हां तो बाल देखरेख संस्था में आवास सहित ब्यौरा दें।

हां / नहीं

45. पिछली संस्थानिक/मामला पूर्ववृत्त तथा वैयक्तिक देखरेख योजना, यदि कोई हो

46. बालक का शारीरिक रूप:

47. बालक के स्वास्थ्य की स्थिति (चिकित्सा जांच रिपोर्ट सहित, यदि लागू हो):

48. बालक की मानसिक स्थिति:

49. अन्य कोई टिप्पणी

जांच का परिणाम

1. भावनात्मक कारण.....
2. शारीरिक स्थिति.....
3. बुद्धिमता.....

4. सामाजिक तथा आर्थिक कारक.....
5. समस्याओं के सुझाए गए कारण.....
6. अपराध के कारणों/कारणों में अंशदायी कारकों का विश्लेषण.....
7. परामर्श किए गए विशेषज्ञों की राय.....
8. परिवीक्षा अधिकारी/बाल-कल्याण अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा पुनर्वास के संबंध में सिफारिश.....

परिवीक्षा अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी/
सामाजिक कार्यकर्ता के हस्ताक्षर
मुहर तथा सील जहां उपलब्ध हो